

**राष्ट्रीय यक्ष्मा अनुसंधान संस्थान**  
**NATIONAL INSTITUTE FOR RESEARCH IN TUBERCULOSIS**  
**चेटपेट, चेन्नई 600 031 / CHETPET, CHENNAI - 600 031**

( भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद / INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH )

**एलटीसी / गृह नगर / चिकित्सीय सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु आश्रितों की घोषणा**  
**DECLARATION OF DEPENDENTS FOR PURPOSE OF AVAILING LTC/HOME TOWN/ MEDICAL AID**

परिवार में केवल पत्नी (या पति), संतान अथवा सौतेली संतान तथा पूर्णतः आश्रित माता-पिता ही सम्मिलित होंगे, न कि अन्य संबंधी जैसे विवाहित या विधवा पुत्रियाँ, भाई एवं बहनें। ऐसे माता-पिता भी कर्मचारी पर आश्रित माने जाएंगे, जिनकी मासिक आय ₹ 500 से कम हो तथा जो संबंधित कर्मचारी के महंगाई वेतन सहित (जहाँ लागू हो) मासिक वेतन पर निर्भर हों।

Family include only wife (or Husband), Children or step Children and wholly dependent parents and no other relations such as married or widowed daughters, brothers and sisters etc. An employee who declares his/her parents as dependent on him/her should also give a certificate in the form appended below:-

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि निम्नलिखित व्यक्ति मेरे ऊपर पूर्णतः आश्रित हैं:

I declare that the following persons are wholly dependent on me:-

**आश्रितों की घोषणा / DECLARATION OF DEPENDENTS**

क्र.सं. Sl.No.	नाम / Name	उम्र / Age	संबंध / Relationship

मैं आगे घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पिता / माता या पिता और माता दोनों वास्तव में मेरे साथ रहते हैं / I further declare that my father / mother or both father and mother is / are actually residing with me at

( यहाँ पता दें / here give address )

और कि मेरे पिता / माता अथवा पिता और माता दोनों पूरी तरह मेरे आश्रित हैं तथा उनकी आय प्रति माह है: / and that he / she / they are wholly dependent on me and that their monthly income is ₹ \_\_\_\_\_ .

स्थान/ Place:

दिनांक / Date:

कर्मचारी के हस्ताक्षर / Signature of the employee

पदनाम सहित / with designation

**टिप्पणी / Note:**

- माता-पिता की आय संबंधी घोषणाएँ प्रत्येक वर्ष जनवरी में भरी जानी हैं। / The declarations regarding parental income is to be filled in January every year.
- माता-पिता की आय की घोषणा के उद्देश्य से घर, भूमि, संपत्ति आदि जैसे स्रोतों से होने वाली मासिक आवर्ती आय को ध्यान में रखना चाहिए। Recurring monthly income for sources such as Houses, land, holdings etc. are to be taken into account for the purpose of declaring parental income.
- यदि ऊपर घोषित आश्रितों की सूची में कोई परिवर्तन हो तो उसे अनिवार्य रूप से कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। Change if any in list of dependents declared above should be invariably notified to the office.